आज़ादी का अमृत महोत्सव

G20 भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH · ONE FAMILY · ONE FUTURE

कार्यालय आयुक्त पुलिस : दिल्ली ।

पुलिस मुख्यालय,जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
दूरभाष/फेक्स संख्या- 011-20818735-36, Email: Inspr.p.phq@gmail.com

अधिसूचना

दिनांक 7/02/2023

संख्या 1978 **/पदोन्नति प्रकोष्ठ (ए. सी-3) कार्मिक शाखा/पु0मु0: तदर्थ पदोन्नति:-** आयुक्त पुलिस, दिल्ली महिला सिपाही (कार्य) शालू शर्मा, 1942/उत्तर पूर्वी (28090672) को तत्काल प्रभाव से 6 महीने के लिए या जब तक वह सफलतापूर्वक लोवर स्कूल कोर्स करने के पश्चात नियमित पदोन्नति के लिए पात्र ना बन जाये जो भी पहले हो, दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं पुष्टिकरण) नियम 1980 के नियम 19 (i) के तहत प्र0 सि0 (कार्य0) (महिला) के पद पर पूर्णत: अस्थाई और तदर्थ आधार पर पदोन्नति प्रदान करते है । वह नियमित नियुक्ति या वरिष्ठता या ऐसे किसी अन्य समकक्ष पद पर नियुक्ति के लिए किसी अधिकार का दावा करने के हकदार नही होगी और बिना नोटिस के और बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तन के लिए संभव्य होगी । तदर्थ पदोन्निति (स्थाई आदेश संख्या एच.आर. डी. 30/2022 के अनुसार) उस तिथि से रोक दी जाएगी जब वह बिना किसी वैध कारण/औचित्य के अपने बैचमेट्स के साथ निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जाने से इन्कार करती है या वह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में असफल हो जाये या उसे निलंबन या विभागीय जांच के तहत रखा गया हो या उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया हो या नैतिक अधमता या भ्रष्टाचार के आरोपो पर उसे बडी सजा की कार्यवाही के दौरान निंदा (Censure) दी गई हो ।

D/C Confirm C-13

उपायुक्त पुलिस
मुख्यालय- IV,दिल्ली ।

सी.जी. संख्या P070223-143-0001

संख्या 1979-85 **/पदोन्नति प्रकोष्ठ (ए. सी-3) कार्मिक शाखा/पु0मु0 दिनांक** 7/2/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उपायुक्त पुलिस/उत्तर-पूर्वी जिला, दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू । म0 प्र0 सिपाही (कार्य0) शालू शर्मा, 1942/उत्तर पूर्वी (28090672) को तदनुसार सूचित करते हुए उन से हस्ताक्षर पावती ली जाए और उनकी फौजी मिशल में भी लगाएं । यदि तदर्थ पदोन्नति के दौरान उसे निलंबन के तहत रखा जाता है या विभागीय जांच का आदेश दिया गया है या कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया है अथवा गोपनीय सूची में नाम दर्शाया जाता है तो इस मुख्यालय को सूचित करेंगें ।
2. स0 आयुक्त पुलिस/आई0टी0/पु0मु0, दिल्ली ।
3. निरीक्षण/स्थापना शाखा को दिल्ली पुलिस राजपत्र में प्रकाशन हेतु ।
4. प्रभारी डेस्क-I, IV,VI, Roster एवं रजिस्टर/कार्मिक शाखा/पु0मु0 ।
5. प्रभारी कम्प्यूटर/सी.बी.-पु0मु0 को आदेश की इमेंजिंग एव दिल्ली पुलिस की वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए ।